10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय में श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

जयपाल पिता छोटानी केवट निवासी कोलमी तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

------ निगरानीकर्ता

बनाम

1– नीमलाल पिता समुहा

2– फूल बाई पिता छोटानी केवट दोनों निवासी ग्राम कोलमी तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

------ उत्तरवादीगण

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार वृत्त फुनगा तहसील अनूपपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 26/अ–3/2012–13 आदेश दिनांक– 29/04/2013 के विरूद्ध

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नानुसार निगरानी कर विनय करता है कि–

ग्राम कोलमी तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म0प्र0) स्थित आराजी ख0नं0– 766/1, 766/2, 766/3 पहले नक्शा तर्मीम नही था उत्तरवादी क्रमांक– 01 के द्वारा तहसीलदार महोदय अनूपपुर के न्यायालय में खसरा नं0– 766/1 व अन्य नम्बरों का नक्शा तर्मीम करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें राजस्व निरीक्षक के द्वारा नक्शा तर्मीम की कार्यवाही करने के लिये उपस्थित हुये जिसमें श्रीमान् तहसीलदार महोदय के द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव की स्वीकृत कर दी गई जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है–

निगरानी के आधार–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3854-तीन/2014 जिला अनूपपुर जयपाल विरूद्ध नीमलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019 10.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त फुगना तहसील अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 26/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-11-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य